न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्र.3694–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–5–2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 123/अपील/2003–04

.....

1–श्रीमती रामबाई पत्नि नन्दकिशोर मेहतो
2–महेश मेहतो आ0 नन्दकिशोर मेहतो
3–दिनेश मेहतो आ0 नन्दकिशोर मेहतो
सभी निवासी ग्राम पथरोटा तहसील इटारसी,
जिला होशंगाबाद म0प्र0
4–श्रीमती शैल कुमार पत्नि श्री द्वारका प्रसाद चौधरी,
ग्राम धारली तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
5–श्रीमती मीना वर्मा पत्नि श्री राजेश वर्मा
बाजार बैतूल म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्री रामनारायण मेहतो आ0 हरिराम मेहतो
निवासी ग्राम पथरोट तहसील इटारसी
जिला होशंगाबाद म0प्र0
2–रामकिशोर मेहतो आ0 हरिराम मेहतो
3–गौरेलाल मेहतो आ0 हरिराम मेहतो
दोनों निवासी ग्राम पथरोटा तहसील इटारसी
जिला होशंगाबाद म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री अनोज गुप्ता, अभिभाषक–आवेदकगण
अनावेदक स्वयं उपस्थित

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 27/10/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका कमांक 1 के पति एवं अनावेदक कमांक 2 व 3 के पिता नंदकिशोर द्वारा तहसीलदार इटारसी के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत उभयपक्ष की शामिल शरीक भूमि ग्राम जुझारपुर स्थित सर्वे कमांक 289 रकबा 1.785 के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–27/02–03 दर्ज कर दिनांक 24–6–2003 को बटवारा आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–6–2004 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–5–2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील आंशिक स्वीकार की जाकर सर्वे कमांक 289/1 जो कि नंदकिशोर को दी गई थी, उसे गोरेलाल को दिये जाने के आदेश पारित किये गये । साथ ही नंदकिशोर के स्थान पर उसके वारिसानों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक बहस में मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर बटवारा आदेश पारित किया गया था, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई है, अतः दोनों अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी एव तहसीलदार द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सामान्यतः जिन वैधानिक बिन्दुओं के आधार पर अपील में सुनवाई की जाना चाहिये उन्हीं पर आदेश पारित करना चाहिये था, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अतिरिक्त तथ्यों के

आधार पर आदेश पारित करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष लिखित तर्क में जो बिन्दु उठाये गये थे, उन पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध एक अन्य अपील प्रकरण कमांक 123/2003–04 भी अपर आयुक्त के समक्ष विचाराधीन थी जिसमें एकसाथ सुनवाई करने का आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत किया गया था, परन्तु उस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा अनुचित कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नंदकिशोर की मृत्यु अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित प्रकरण में बहुत पहले हो चुकी थी और अनावेदकगण द्वारा मृत नंदकिशोर के वारिसानों को अभिलेख पर नहीं लिये जाने के कारण अपील अबेट हो गई थी और अबेट अपील में आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) फर्द बटवारा से स्पष्ट है कि पडती भूमि नंदकिशोर के द्वारा छोड़ी गई थी जिसे नंदकिशोर द्वारा अपने कथन में स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को स्वत्व एवं कब्जे के आधार पर बटवारा करना था, जिसके अनुसार सर्वे नम्बर 289/1 गौरेलाल, 289/2 रामकिशोर, 289/3 नंदकिशोर एवं 289/4 रामनारायण को दी जाना थी, अतः अपर आयुक्त द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर उपरोक्तानुसार भूमि सहखातेदारों को देने का आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है ।

(2) यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि का मौखिक बटवारा उभयपक्ष के मध्य हो चुका है और सभी पक्षों द्वारा अपना अपना कब्जा मान्य किया गया है, अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के अभिलेख से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदक कमांक 3 गोरेलाल को जो भूमि दी गई है, वह पडती होकर नंदकिशोर के हिस्से की भूमि है और नंदकिशोर द्वारा स्वयं अपने कथन में स्वीकार किया गया है कि नंदकिशोर कभी भी अपनी भूमि पर नहीं गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सर्वे नम्बर 289/1 जो बटवारे में नंदकिशोर को दी गई थी, उसके स्थान पर अनावेदक कमांक 3 को दी गई है एवं सर्वे कमांक 289/3 नंदकिशोर को दी गई है । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है । बटवारे में सभी सहखातेदारों को समान भूमि मिलना चाहिये, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से हस्तक्षेप योग्य आदेश नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर